उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–3012–कार्य/चौदह–पाकालि/2019–65–के/2018 दिनांकः 31 दिसम्बर, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/
पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,
केस्को, कानपुर।

विषय :– **भण्डार से 08 बी पर निर्गत सामग्री का समायोजन किये जाने हेतु पुर्ननिर्धारित गाइड लाईन्स।**

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सहयोगी वितरण निगमों एवं केस्को के अन्तर्गत वितरण क्षेत्रों में अवर अभियन्ताओं को '08 बी' के अन्तर्गत सामग्री को निर्गत किये जाने एवं उसका समायोजन न करने से होने वाली विभिन्न समस्याओं के दृष्टिगत '08 बी' के अन्तर्गत सामग्री निर्गत करने तथा उसके समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में गाइडलाइन्स के निर्धारण हेतु निर्गत कारपोरेशन के पत्र सं0–3251–कार्य/चौदह–पाकालि/ 2018–65–के/2018 दिनांकः 12.11.2018 को अवक्रमित करते हुए एतद्द्वारा गाइडलाइन्स का पुर्ननिर्धारण निम्नवत किया जाता है :–

1. मात्र अपरिहार्य परिस्थितियों में ही '08 बी' पर सामग्री को निर्गत किया जाये। सामान्य परिस्थितियों में '08 बी' पर सामग्री को निर्गत नही किया जाये।
2. प्राक्कलन स्वीकृत हेतु सक्षम अधिकारी की संस्तुति उपरान्त ही '08 बी' पर सामग्री को निर्गत किया जाये।
3. अवर अभियन्ता प्रत्येक दशा में '08 बी' पर प्राप्त की गयी सामग्री का प्राक्कलन सामग्री निर्गमन तिथि से अधिकतम पन्द्रह दिवसो में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करेंगे।
4. उपखण्ड अधिकारी द्वारा तीन कार्य दिवसो में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को स्वीकृत हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्राक्कलन स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्राक्कलन को निम्नलिखित निर्धारित समय सीमा में स्वीकृत करने के उपरान्त सम्बन्धित भण्डार में प्रस्तुत किया जायेगा तथा भण्डार खण्ड द्वारा '08 बी' पर निर्गत सामग्री का समायोजन किया जायेगा :–

क्र0सं0	सक्षम अधिकारी	निर्धारित समय सीमा
1	अधिशासी अभियन्ता	उप–खण्ड अधिकारी से प्राप्त प्राक्कलन को तीन कार्य दिवसों में स्वीकृत करेंगे अन्यथा अधीक्षण अभियन्ता को निर्णय लेने हेतु अग्रसारित करेंगे।
2	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता से प्राप्त प्राक्कलन को एक कार्य दिवस में स्वीकृत करेंगे अन्यथा मुख्य अभियन्ता को निर्णय लेने हेतु अग्रसारित करेंगे।
3	मुख्य अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त प्राक्कलन को एक कार्य दिवस में स्वीकृत करेंगे अन्यथा डिस्काम मुख्यालय को निर्णय लेने हेतु अग्रसारित करेंगे।
4	डिस्काम मुख्यालय	मुख्य अभियन्ता से प्राप्त प्राक्कलन पर दो कार्य दिवसों में निर्णय लेगें।

6. '08 बी' पर निर्गत सामग्री का भण्डार के लेखो में लेखाकंन किसी भी दशा में स्वीकृत प्राक्कलन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
7. उपरोक्त समय सीमा पालन नहीं करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या :–3012(1)–कार्य/चौदह/पाकालि/2019 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर सचिव–I/II/III, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, लेखा एवं सम्प्रेक्षा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
6. कट फाइल।

(ए0के0 पुरवार) 2/12/19
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)